रजिस्ट्री सं. डी.एल.--33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.--33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2011/पौष 30, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 253
No. 13] DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2011/PAUSA 30, 1932 [N.C.T.D. No. 253

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

सं. डीई. 23(467) स्कू.शा./2010/84.—बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 36 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35 के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2), धारा 18 की उप-धारा (5) तथा धारा 19 की उप-धारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिये अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

1. शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समस्त स्कूलों के संबंध में
2. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
3. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
5. जिला उप-निदेशक, शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार : उनके क्रमश: क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त स्कूलों के संबंध में

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2011

No. DE. 23 (467) Sch. Br./2010/84.—In pursuance of Seciton 36 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lt. Governor, NCT of Delhi, under Section 35 of the RTE Act, 2009, appoints the following as authorized officers for the purposes of according sanction for prosecution for the offences punishable under sub-section (2) of Section 13, sub-section (5) of Section 18 and sub-section (5) of Section 19 of the above Act, namely :—

1. Director of Education, Govt. of N.C.T. of Delhi	:	In respect of all schools within the N.C.T. of Delhi
2. Director (Education), Municipal Corporation of Delhi	:	In respe f schools under his/her jurisdiction
3. Director (Education), New Delhi Municipal Council	:	In respe hools under his/her jurisdiction
4. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board	:	In respect of schools under his/her jurisdiction
5. Distt. Deputy Directors of Education, Directorate of Education, GNCTD	:	In respect of all schools under their respective jurisdictions

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy. (Education)

कार्यालय आयुक्त मूल्य संवर्धित कर

(व्यापार एवं कर विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

सं. एफ-II/6/एस टी/एल एण्ड जे/04-05/35.—दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 65 सपठित नियम 20 के अधीन प्रावधानों के अनुसार 94 वार्डों के बिक्री कर अधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियम की धारा 65 सपठित नियम 20 के अधीन निरस्त किये गये 2465 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का विवरण, जोकि अनुलग्नक परिशिष्ट में दर्शाये गये हैं, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं ।

राकेश भटनागर, अतिरिक्त आयुक्त (विधि एवं न्यायिक)